

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: बी०-११२-१०२(०००१)/२०११-५५/आ० दिनांक: ०२.१२.२०११ के द्वारा शीर्ष २०१५-निर्वाचन-१०२ निर्वाचन अधिकारी-०००१-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना अन्तर्गत वेतन भत्ते मद में वित्तीय वर्ष २०११-१२ में प्राप्त आवंटन को निम्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुंगेर जिला को कॉलम ४, ७, १० एवं १३ में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्र०	पदाधिकारी का पदनाम	वेतन ०१०१			जी० या० भत्ता ०१०३		
		पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित	पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित
१	२	३	४	५	६	७	८
१	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	६२४०६०.००	३२७५२.००	६५६८१२.००	३२९३४०.००	४२५८.००	३३३५९८.००
२	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर	१६३३५०.००	३०१५२.००	१९३५०२.००	८३३४०.००	१४९३१.००	९८२७१.००
योग =		७८७४१०.००	६२९०४.००	८५०३१४.००	४१२६८०.००	१९१८९.००	४३१८६९.००

क्र०	पदाधिकारी का पदनाम	मकान किराया भत्ता ०१०४			चिकित्सा भत्ता ०१०६			अभ्युक्ति
		पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित	पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित	
१	२	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	२०८६५.००	०.००	२०८६५.००	७२००.००	०.००	७२००.००	
२	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर	१६३३५.००	२९२७.००	१९२६२.००	१८००.००	४२३.००	२२२३.००	
योग =		३७२००.००	२९२७.००	४०१२७.००	९०००.००	४२३.००	९४२३.००	

२. उप आवंटित राशि का व्यय शीर्ष २०१५-निर्वाचन-१०२ निर्वाचन अधिकारी- ०००१-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना के वेतन मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०११-१२ में उपबंधित राशि से विकलित होगा।
३. उपावंटित राशि मांग संख्या-०६ के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड- एन २०१५००१०२०००१ है।
४. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम-४-०५/९८/२५६१वि०(२) दिनांक:१७.०४.१९९८ एवं पत्रांक ३३८८ वि०(२) दिनांक: १८.०४.२०११ के आलोक में आवंटित है।
५. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक: ५९९/वि०(२) दिनांक: ०७.०७.२०१० में निहित प्रावधानों के आलोक में वेतन एवं उनके देय भत्ते को विषय शीर्ष- ०१ ०१ से ०१ ०७ तक में माना गया है। अगर किसी उपशीर्ष की किसी विषय शीर्ष/मद का प्रावधान नहीं कराया जा सका है, अथवा कम प्रावधान कराया गया है तो उक्त भत्ते के लिये बजट में प्रावधानित वेतन मद की राशि अथवा वेतन का ऐसा अन्य विषय शीर्ष जिसमें अधिक राशि का प्रावधान है, में से घटाते हुए वैसा विषय शीर्ष जहाँ राशि की आवश्यकता है, में राशि कर्णांकित की जानी है। निकासी एवं व्यय पदाधिकारी द्वारा विपत्रों को कोषागार में प्रेषित करने के पूर्व आवश्यकतानुसार वेतन एवं उनके भत्तों के लिये अलग-अलग विषय शीर्ष में राशि को कर्णांकित करने के पश्चात् विपत्र में आवश्यक उल्लेख कर लिया जाये।
६. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उपावंटित राशि का व्यय किया जायेगा।
७. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
८. इस राशि से विगत के वर्षों के किसी भी बकाया भुगतान (षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय किस्त को छोड़कर) का भुगतान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

३

